

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

क्रमांक एफ 11(125)(12)(13)(14)ओबीसी/सान्याअवि/12/ 69435

जयपुर

दिनांक 16/09/2013

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़े गए विभिन्न जाति/वर्गों के नामों के अनुक्रम में मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 221/2013 दिनांक 17 सितम्बर, 2013 की अनुपालना में राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में तुरन्त प्रभाव से निम्न पिछड़ी जाति/वर्गों के नाम जोड़े जाते हैं :-

क्र.सं.	जाति/वर्ग जिसे सम्मिलित किया गया है।	राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग की जारी सूची की क्रम संख्या एवं पृथक क्रमांक जिस पर इस जाति/वर्ग को जोड़ा गया है।
1	गुरु, गर्ग ब्राह्मण	सूची में पृथक क्रमांक 07 पर 'गुरु, गर्ग ब्राह्मण'
2	डार (डारान)	सूची में क्रमांक 68 पर कुंजड़ा, राइन के आगे 'डार (डारान)'
3	दसनाम गोस्वामी	सूची में क्रमांक 19 पर गिरी, गोसाई (गुसाई) के आगे 'दसनाम गोस्वामी'
4	पुजारी सेवक	सूची में पृथक क्रमांक 88 पर 'पुजारी सेवक'
5	शोरगर	सूची में पृथक क्रमांक 89 पर 'शोरगर'
6	मन्सूरी	सूची में क्रमांक 27 पर कन्डेरा, पिंजारा के आगे 'मन्सूरी'
7	बढ़ई	सूची (अंग्रेजी) में क्रमांक 6 पर BADAI शब्द में D के आगे H जोड़कर सही अंग्रेजी प्रतिरूप 'BADHAI'
8	खरादी	सूची में क्रमांक 6 पर बढ़ई, जांगिड़, खाती, सुथार, तरखान के आगे 'खरादी'
9	नागर बंधारा	सूची में क्रमांक 8 पर छीपा (छीपी), भावसार, नामा, खट्टी छीपा, रंगरेज, नीलगर के आगे 'नागर बंधारा'
10	पूर्विया (धनगर, गाड़री)	सूची में क्रमांक 19 पर गड़रिया (गाड़री), गायरी, घोसी (ग्वाला) के आगे 'पूर्विया (धनगर, गाड़री)'
11	हम्माल	सूची में क्रमांक 76 पर तेली के आगे 'हम्माल'
12	सिपाही (मुस्लिम)	सूची में क्रमांक 71 पर सिन्धी मुसलमान के आगे 'सिपाही (मुस्लिम)'
13	नागोरी (मुस्लिम)	सूची में क्रमांक 21 पर गाड़ीत नागोरी के आगे 'नागोरी (मुस्लिम)'

आज्ञा से,

(अतिरिक्त सचिव)
राजस्थान सचिव

16/9/13

क्रमांक एफ 11(125)(12)(13)(14)ओबीसी / सान्याजि / 12 / 69436-585

जयपुर दिनांक 13/11/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राज, जयपुर।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राज, सरकार।
4. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
5. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
6. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. समस्त संभागीय आयुक्त।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर / जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर।
11. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर।
12. निजी सचिव, समस्त मंत्री / राज्य मंत्री, राजस्थान।
13. समस्त विभागाध्यक्ष।
14. समस्त जिला कलेक्टर।
15. समस्त पुलिस अधीक्षक।
16. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
17. समस्त उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परीक्षा एवं संसाधन कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
18. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) में प्रकाशन हेतु
19. एगारिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं उपरोक्त समस्त को ई-मेल करने बाबत।
20. गार्ड फाइल।

शासन सचिव